उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–8
संख्या 762 /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः: दिनांकः: 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना/संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

1. उक्त अधिसूचना में– सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008

(एक) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफआईएफए यू-17 विश्व कप 2017, जो भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है।";

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11ख	शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962	किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।		

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, "मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ञ) में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(दो) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"(iii) **सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008** (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "**सीमित दायित्व भागीदारी**" को एक **भागीदारी** फर्म या फर्म माना जाएगा।"

2. **यह अधिसूचना दिनांक** 22 **अगस्त**, 2017 **से प्रवृत्त होगी ।**

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 762/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.762/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 22 September, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.762/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 22 September, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.";

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to Central Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System (PDS)	Nil	Nil

		against consideration in the form of commission or margin.		
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shops to State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil";

(c) against serial number 35, in column (3),-

(A) in item (h), for the words "Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme", the words, brackets and letters "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)", shall be substituted;

(B) in item (j), for the words "National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi BimaYojana)", the words, brackets and letters "Pradhan Mantri Fasal BimaYojana (PMFBY)", shall be substituted;

(ii) in paragraph 3,in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall be considered as a partnership firm or a firm.".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of August, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary